The Institute of Chartered Accountants of India

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a statutory body established by the Chartered Accountants Act, 1949 for regulating the profession of Chartered Accountants in the country. It is noteworthy that the Act came into force from 1st July, 1949 even before the Constitution was adopted by India. The creation of the Institute was a very important step in the progress of the profession. The Indian legislature placed a great responsibility on the Council of ICAI expecting them to establish standards of professional efficiency and professional integrity.

Since its inception in 1949, the ICAI has come a long way as an autonomous regulator of accounting and auditing profession in line with its role defined under the Act. It has been in the forefront of propagating sound and resilient accounting and auditing practices. The role of ICAI as a National Standard Setter and as an educator has been the hallmark of its existence.

Since 1949, the profession has grown by leaps and bounds in terms of membership and student base. Starting with a handful of about 1700 members, the strength of the Chartered Accountant fraternity today, has grown to over 2.70 lakh members. On the education front, the ICAI began with mere 259 students and today about 7.25 lakh active students are a part of ICAI.

ICAI is the second largest accounting body in the world with a strong tradition of service to the Indian economy. It has achieved recognition as a premier accounting body for maintaining highest standards in technical as well as ethical areas and for sustaining stringent examination and education standards.

The affairs of the ICAI are managed by a Council in accordance with the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Chartered Accountants Regulations, 1988. The Council is composed of 40 members of whom 32 are elected by the members and remaining eight are nominated by the Central Government generally representing the Comptroller and Auditor General of India, Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Finance , Ministry of Commerce and other stakeholders.

In terms of the Act of 1949, the President is the Chief Executive Authority of the Council. The Secretariat of the ICAI is headed by the Secretary who is in-charge of the office of the ICAI as its Executive Head. The activities of the ICAI can be broadly divided into regulatory, standard setting, disciplinary and education and training.

The Institute functions under the administrative control of Ministry of Corporate Affairs, Government of India. It has its headquarters in New Delhi and 5 Regional offices in Chennai, Kanpur, Kolkata, Mumbai and New Delhi. It presently has 163 branches spread all over the country. In addition, it has also set up 31 chapters outside India and an overseas office in Dubai.

The ICAI is often called upon by various regulatory / statutory authorities of India on issues related to the profession and otherwise. Several Departments of the Central and State Governments of India approach the ICAI for utilizing the services of Chartered Accountants for advice on economy in expenditure, development of control mechanism over public funds and optimum and effective cost of funds. Members of the ICAI contribute to public interest and national growth with the motto of Independence, Integrity and Excellence.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on The Institute of Chartered Accountants of India.

Credits:

Text	:	Based on information received from proponent
Stamp/ FDC/ Brochure	:	Sh. Kamleshwar Singh
Cancellation Cachet	:	Smt. Alka Sharma

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
THE INSTITUTE OF
CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

विवरणिका BROCHURE

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)) एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना देश में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा संविधान को अंगीकृत करने से पहले ही यह अधिनियम 1 जुलाई, 1949 से लागू हो गया था। इस व्यवसाय की प्रगति के लिए संस्थान का गठन करना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय विधान मंडल ने उस समय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की परिषद पर बड़ी जिम्मेदारी डाली थी, जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह व्यावसायिक दक्षता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के मानक स्थापित करे।

वर्ष 1949 में इसकी स्थापना के समय से, आईसीएआई ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम के अधीन अपने निर्धारित दायित्वों के अनुसार, लेखाकरण और लेखापरीक्षा व्यवसाय के एक स्वायत्त विनियामक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए एक लम्बा सफर तय किया है। यह ठोस तथा उन्नत लेखाकरण और लेखापरीक्षा की परिपाटियों का प्रचार करने में अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय मानक के निर्धारक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में आईसीएआई की अपनी विशिष्ट भूमिका इसके अस्तित्व की पहचान रही है।

वर्ष 1949 से, इसकी सदस्यता और छात्रों की संख्या की वृद्धि के रूप में इस व्यवसाय का अपार विस्तार हुआ है। लगभग 1700 सदस्यों की मामूली संख्या के साथ शुरु हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों की संख्या आज बढ़कर लगभग 2.70 लाख हो गई है। शिक्षण की दृष्टि से, प्रारंभ में आईसीएआई के केवल 259 छात्र थे, जबकि आज इसके लगभग 7.25 लाख सक्रिय छात्र हैं।

आईसीएआई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखाकरण निकाय है, जो लोक हित और भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी सेवाएं प्रदान करने की अपनी सशक्त परम्परा को निभा रहा है। आईसीएआई को तकनीकी एवं नैतिक मानकों तथा परीक्षा और शिक्षा के कड़े मानकों का अनुसरण करने के लिए देश में ही नहीं अपितु विश्व में भी प्रमुख लेखाकरण निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

आईसीएआई के कार्यों का संचालन इसकी परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस परिषद में 40 सदस्य हैं, जिनमें से 32 सदस्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और शेष 8 सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जो सामान्यतः भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य हितधारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1949 के अधिनियम के अनुसार, संस्थान के अध्यक्ष इस परिषद के मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी हैं। आईसीएआई सचिवालय के सचिव इसके प्रमुख हैं, जो आईसीएआई के कार्यपालक प्रमुख के रूप में इसके कार्यालय के प्रभारी हैं। आईसीएआई के कार्यकलापों को मुख्यतः विनियामक, मानक निर्धारण, अनुशासन और शिक्षा एवं प्रशिक्षण श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

यह संस्थान, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई और नई दिल्ली में इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में, देशभर में इसकी 163 शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त, भारत से बाहर इसने 31 चैप्टर्स भी स्थापित किए हैं और दुबई में इसका विदेशी कार्यालय है।

आईसीएआई को व्यावसायिक और अन्य विषयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत के विभिन्न विनियामकों/सांविधिक निकायों द्वारा प्रायः आमंत्रित किया जाता है। भारत के केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग, व्यय में कमी करने, लोक निधि संबंधी नियंत्रण तंत्र के विकास और निधियों के इष्टतम और प्रभावी उपयोग के संबंध में परामर्श लेने एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आईसीएआई से सम्पर्क करते हैं। आईसीएआई के सदस्य स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के उद्देश्य से लोक हित और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहे हैं।

डाक विभाग भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

मूलपाठ	:	प्रस्तावक से प्राप्त सूचना पर आधारित
डाकटिकट / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका	:	श्री कमलेश्वर सिंह
विरूपण	:	श्रीमती अलका शर्मा

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग Denomination	: :	2200 पैसा 2200 p
मुद्रित डाक-टिकटें Stamps Printed	: :	6.0 लाख 6.0 lakh
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	: :	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	: :	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at
http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्य: ₹ 5.00